FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

नथु बनाम भानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा दावा धारा 88,188 RTAct नं. 224/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/2020	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री नरपत प्रजापत ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88,188 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/12/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर	
16/12/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल अदम तामिल अप्राप्त। सम्मन पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/12/2020 को पेश हो। [initials]	
22/12/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल अदम तामिल अप्राप्त। सम्मन पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 28/12/2020 को पेश हो। [initials]	

28/12/2020

वादीनी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 3 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2/1 से 2/6 की ओर से वकील श्री मोहनलाल द्वारा वकालतनामा व ईकबाली जवाब दावा मय शपथपत्र दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 बाबत ~~पत्रावली शामिल [illegible]~~ गया। प्रतिवादी जूर तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली दिनांक 15/02/2021 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

इ.नि. नपूरक
(रामलाल)
(जोगाराम)
जोगाराम

04/01/2021

वादीनी वकील उपस्थित। वादीनी के वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली आज पेशी पर लेकर सुनवाई करने बाबत पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई, प्रतिवादी संख्या-2/1 से 2/6 के वकील उपस्थित। वादीनी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 से PW-3 के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीनी व प्रतिवादी संख्या-2/1 से 2/6 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा वादीनी व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन करने के बाद वादीनी का वाद व प्रतिवादी संख्या-2/1 से 2/6 का इकबाल क्लेम मय प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

पीठासीन अधिकारी – विवेक व्यास RAS

राजस्व वाद संख्या – 224 / 2020

वादीनी
नथु पुत्री हरचन्द पत्नि नारणाराम
जाति–जाट,
निवासी–मीठियासरा
(पनावड़ा) हाल सारणो की
ढाणी, ऊचिया (दांखा)
तहसील–गुड़ामालानी
जिला – बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण
1.कानाराम पुत्र लाधुराम
2.ताजाराम गोदपुत्र मंगलाराम
के का0मु0:–
2/1 जसाराम पुत्र ताजाराम
2/2 रामलाल पुत्र ताजाराम
2/3 चेतनराम पुत्र ताजाराम
2/4 भंवरलाल पुत्र ताजाराम
2/5 भीखाराम पुत्र ताजाराम
2/6 धुड़ीदेवी पत्नि ताजाराम
जातियान–जाट
निवासीयान–मीठियासरा
(पनावड़ा)
तहसील बायतु,
जिला–बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बायतु
4. श्रीमान शाखा प्रबन्धक
SBBJ शाखा बायतु

प्रकरण संख्या – 224 / 2020 रा0वा0
उपस्थिति :– श्री नरपत पुनड़ वकील वादीनी
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध ईकतरफा
श्री मोहनलाल प्रतिवादी संख्या 2

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

निर्णय

दिनाक :– 04/01/2021

वादीनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक खातेदारी के खेत मूल खसरा नम्बर 348 रकबा 0.07 बीगा, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.04 बीगा व खसरा नम्बर 350 रकबा 296 बीगा 01 विस्वा के मौजा पुनावड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर में आये हुए थे। वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका खानदानी सजरा निम्न प्रकार से है :–

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

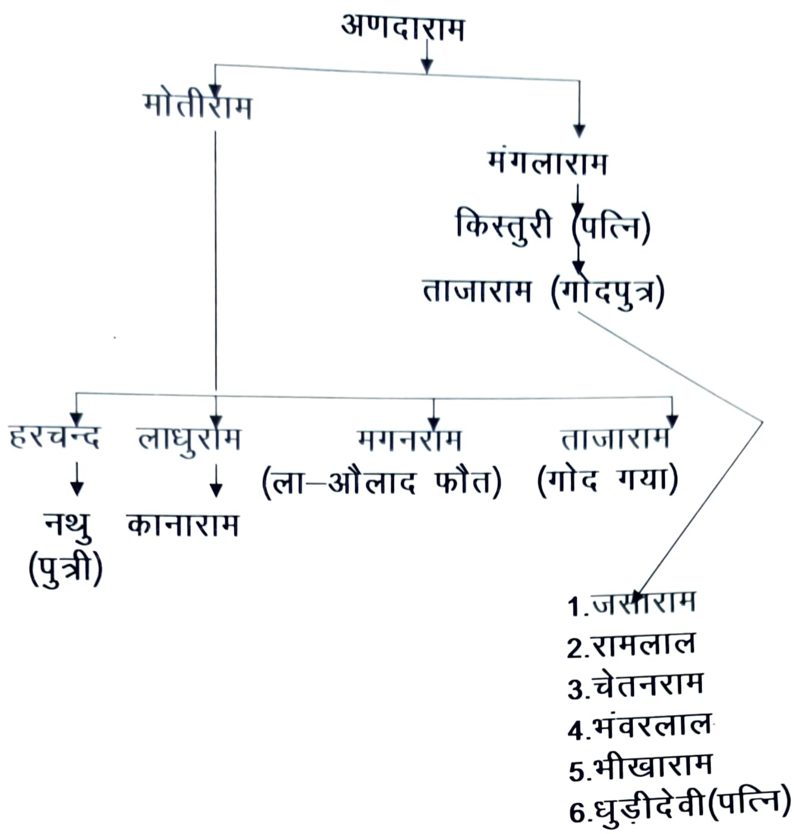

कि वक्त सेटलमेन्ट उपरोक्त वर्णित खसरो की जमीन वादीनी के पिताजी हरचंद, प्रतिवादी संख्या 2 के पिताजी लाधुराम व मगनाराम, ताजाराम पिसरान मोतीराम हिस्सा 1/2 तथा मंगलाराम पुत्र अणदाराम हिस्सा 1/2 के दर्ज की गई थी। बाद में मंगलाराम पुत्र अणदाराम के ला–औलाद फौत होने पर ताजाराम पुत्र मोतीराम को मंगलाराम की पत्नि किस्तुरीदेवी द्वारा गोद लिया गया था तथा मगनाराम पुत्र मोतीराम ला–औलाद फौत हो गया था, बाद पुनावड़ा से नया गांव सृजित होने पर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी नये राजस्व ग्राम मीठियासरा पटवार हलका पनावड़ा में आ गये है वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 0.07 बीगा, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.04 बीगा व खसरा नम्बर 350 रकबा 296 बीगा 01 विस्वा वक्त सेटलमेन्ट 1/2 हिस्सा हरचन्द, लाधुराम, मगनाराम, ताजाराम पिसरान मोतीराम तथा 1/2 हिस्सा मंगलाराम पुत्र अणदाराम के नाम से दर्ज की गई थी, इस प्रकार से माफिक खानदानी सजरा के सम्पूर्ण आराजी में 1/8 हिस्सा वादीनी के पिताजी हरचंद का, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के पिताजी लाधुराम का, 1/8 हिस्सा मगनाराम का, 1/8 हिस्सा ताजाराम का तथा 1/2 हिस्सा मंगलाराम का खातेदारी था। मगनाराम पुत्र मोतीराम के ला–औलाद फौत हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी में हरचन्द, लाधूराम व ताजराम प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी में हो गया ओर बाद में ताजाराम पुत्र मोतीराम

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

के मंगलाराम के गोद चले जाने के कारण ताजाराम स्वयं का 1/6 हिस्सा तथा मंगलाराम के गोद जाने से प्राप्त 1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकित हो गया था, बाद में प्रतिवादीगण ने आपस में मिलावट कर वादीनी को नुकशान पहुचाने तथा वादी के पिताजी हरचंद के 1/6 हिस्से की जमीन को हड़प करने के लिये सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का आपस मे सहमति विभाजन करवाकर खसरा नम्बर 476/350 रकबा 147.01 बीगा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 348 रकबा 00.07 बीगा, खसरा नम्बर 349 रकबा 00.04 बीगा, खसरा नम्बर 350 रकबा 146.10 बीगा कुल रकबा 147.01 बीगा प्रतिवादी संख्या 2 ताजाराम के हिस्से में दर्ज करवा दी जो बंटवाडा भी वादीनी के अधिकारो के प्रति प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध है। वादीनी हरचंद पुत्र मोतीराम की जायन्दा पुत्री व एकमात्र सन्तान है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीनी के पिताजी के 1/6 हिस्से की जमीन को हड़प करने के लिये वादीनी के पिताजी हरचंद को ला–औलाद फौत होना बता कर फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 06.03.1973 को वादीनी के जानकारी में लाये बिना बाले–बाले तरीके से स्वीकृत करवा दिया। वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 0.07 बीगा, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.04 बीगा व खसरा नम्बर 350 रकबा 296 बीगा 01 विस्वा में माफिक खानदानी सजरा के वादीनी के पिताजी हरचंद का 1/6 हिस्सा खातेदारी में बनता है तथा हरचंद के स्वर्गवास के बाद वादीनी की हरचंद की जायन्दा पुत्री व प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम का 1/6 + 1/2 हिस्सा खातेदारी में बनता है, वादीनी अपने 1/6 हिस्सा की जमीन पर काबिज है तथा वादीनी के पिताजी हरचंद को अपने जीवनकाल में बाहमी बंटवाडा से मिली भूमि पर वादीनी का कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिस भूमि को वादीनी व उसके पिताजी हरचंद ने मेहनत करके उपजाऊ बनाया है प्रतिवादीगण, वादीनी के हिस्से की जमीन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अतिकमण करना तथा वादीनी के साथ हर वक्त कब्जा काश्त को लेकर विवाद पैदा करते रहते है ओर प्रतिवादीगण ताकत के बल पर जबरन वादीनी के हिस्से की जमीन में अतिकमण करने की धमकिया दे रहे है तथा येन केन प्रकार से वादीनी को उसकी खातेदारी की कब्जा सुदा भुमि से बेदखल करने पर आमादा है वादीनी को यह सख्त अन्देशा हो गया हैं कि प्रतिवादीगण, वादीनी को कभी भी उसकी खातेदारी भुमि से जबरन बेदखल कर अतिकमण कर सकते हैं।

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर करने के बाद प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये तथा प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम की

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

ओर से वकील श्री मोहनलाल का वकालातनामा व ईकबाली जबाबदावा मय अपने प्राकृतिक पिताजी के 1/6 हिस्से व गोद पिता के 1/2 हिस्से कुल 4/6 हिस्से की घोषणा बाबत काऊन्टर दावा पेश किया गया।

पत्रावली में कोई विवाद का बिन्दु न होने के कारण तनकियात कायम न कर वादीनी की साक्ष्य हेतु पत्रावली रखी गई, वादीनी के वकील द्वारा वादीनी की साक्ष्य में वादीनी का शपथ पत्र PW–1, स्वतंत्र गवाह PW–2 जोगाराम पुत्र राणाराम, PW–3 लुणाराम पुत्र इन्द्राराम तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 2/2 रामलाल पुत्र ताजाराम का शपथ पत्र DW–1 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा वकील वादीनी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श–1 सेटलमेन्ट नकल, प्रदर्श–2 नामान्तरकरण हरचन्द की फौतगी का, प्रदर्श–3 ताजाराम के गोद का नामान्तरकरण, प्रदर्श–4 वर्तमान जमाबन्दी, प्रदर्श–5 से प्रदर्श–8 वादीनी नथु का मतदाता पहचान कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड पेश किये।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तिम बहस पर मनन किया व वादीनी द्वारा प्रस्तुत गवाह स्वयं PW–1 स्वयं वादीनी, PW–2 जोगाराम पुत्र राणाराम, PW–3 लुणाराम पुत्र इन्द्राराम के बयानो का भी अवलोकन किया गया जिससे वादीनी व उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहान के न्यायालय में हुऐ संशपथ बयानो से यह स्पष्ट है कि वादीनी स्व. हरचन्द की वैध विधिक वारिस है व हरचन्द की एकमात्र जायन्दा पुत्री है जिस कारण वादग्रस्त आराजी स्व. हरचन्द व उसके भाईयों लाधुराम, मगनराम, ताजाराम पिसरान मोतीराम व मंगलाराम पुत्र अणदाराम के वक्त बंदोबस्त खातेदारी में होने के कारण वादीनी की पैतृक भूमि है जिसमें मोतीराम के चार पुत्र हरचन्द, लाधुराम, मगनराम, ताजाराम होने के नाते व मगनाराम पुत्र मोतीराम के ला–औलाद फौत होने के कारण वादग्रस्त आराजी में वादीनी हरचन्द की एकमात्र जायन्दा सन्तान होने के कारण तथा उतराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8, 9 व 10 के तहत हरचन्द की एकमात्र वारिश होने के कारण वादीनी वादग्रस्त आराजी में अपना 1/6 हिस्सा घोषित करवाने बाबत अपना वाद न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से सफल रही है इसके अतिरिक्त वादीनी के समर्थन में प्रस्तुत गवाहान PW–1 नथु पत्नि नारणाराम पुत्री हरचन्द, PW–2 जोगाराम पुत्र राणाराम PW–3 लुणाराम पुत्र इन्द्राराम ने भी अपने बयानो में यह स्पष्ट किया है कि वादीनी हरचन्द की वैध विधिक वारिस है व वादग्रस्त आराजी में वादीनी अपनी पैतृक भूमि में अपने 1/6 हिस्से पर काश्त करती आ रही है। जिस कारण वादीनी का वाद व प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम का काऊन्टर दावा स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद वादीनी के पक्ष में निर्णित किया जाकर मौजा मीठियासरा पटवार हलका पनावडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 00.07 बीगा, खसरा नम्बर 349 रकबा 00.04 बीगा, खसरा नम्बर 350 रकबा 146.10 बीगा व खसरा नम्बर 476/350 रकबा 147.01 बीगा में 1/6 हिस्सा वादीनी का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 4/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम की खातेदारी में होना घोषित किया जाता है तथा स्थाई व्यादेश वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीनी के 1/6 हिस्से में वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी व हस्तक्षेप व बाधा कारित न करे तदनुसार तहसीलदार बायतु को यह आदेश दिया जाता है कि माफिक निर्णय डिकी वादीनी का हिस्सा खातेदारी में अंकित कर इसी अनुसार नक्शा व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। माफिक निर्णय के डिकी पर्चा मुर्तिब हो। तत्पश्चात पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनाक 04/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड़ अधिकारी बायतु

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीनी
नथु

बनाम

प्रतिवादी
कानाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या : 224/20

निर्णय दिनांक :– 04/01/2021

वादीनी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ व प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम की ओर से वकील श्री मोहनलाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/01/2021 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलेक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीनी का वाद व प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा मीठियासरा पटवार हलका पनावडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 00.07 बीगा, खसरा नम्बर 349 रकबा 00.04 बीगा, खसरा नम्बर 350 रकबा 146.10 बीगा व खसरा नम्बर 476/350 रकबा 147.01 बीगा में 1/6 हिस्सा वादीनी, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 4/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम की खातेदारी में होना घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी पूर्व की भांति संबंधित बैक में रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदराम करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 04/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्च

वादीनी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4.......रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियो के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीय साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

वादीनी

नथु पुत्री हरचन्द पत्नि नारणाराम
जाति–जाट,
निवासी–मीठियासरा
(पनावड़ा) हाल सारणो की
ढाणी, ऊचिया (दांखा)
तहसील–गुड़ामालानी
जिला – बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कानाराम पुत्र लाधुराम
2. ताजाराम गोदपुत्र मंगलाराम
के का0मु0:–
2/1 जसाराम पुत्र ताजाराम
2/2 रामलाल पुत्र ताजाराम
2/3 चेतनराम पुत्र ताजाराम
2/4 भंवरलाल पुत्र ताजाराम
2/5 भीखाराम पुत्र ताजाराम
2/6 धुड़ीदेवी पत्नि ताजाराम
जातियान–जाट
निवासीयान–मीठियासरा (पनावड़ा)
तहसील बायतु,
जिला–बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बायतु
4. श्रीमान शाखा प्रबन्धक
SBBJ शाखा बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु